[2008] 2 एस.सी.आर. 604

भारतीय संघ एवं एक अन्य

बनाम

एस. कृष्णन एवं अन्य

(2008 का दीवानी अपील सं. 1103)

08 फरवरी 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि: बर्खास्तगी - अनुसूचित जनजाति (मलयाली समुदाय) का सदस्य होने का दावा करने वाले कर्मचारी की नियुक्ति - फर्जी समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण उसकी बर्खास्तगी - तत्पश्चात कर्मचारी का यह तर्क कि वह कल्याण अधिकारी के निदेशक के पत्र के आधार पर लंबाडी समुदाय (जो कि एक अनुसूचित जनजाति है) से संबंधित था - उच्च न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार किया गया और बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर दिया गया - क्या यह आदेश संधारणीय है - निर्णय: यह आदेश कायम रखने योग्य नहीं है क्योंकि कर्मचारी ने अनुसूचित जनजाति, मलयाली समुदाय के सदस्य के रूप में आवेदन किया था और उसे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया था - समुदाय प्रमाण पत्र फर्जी था - इसके अलावा, लंबाडी समुदाय अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा नहीं था - उच्च न्यायालय ने उस पत्र पर गलत तरीके से भरोसा किया क्योंकि वह केवल एक सिफारिश की प्रकृति का था और संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में दर्ज किसी प्रविष्टि से संबंधित नहीं था।

उत्तरदाता को रेलवे विभाग में नियुक्त किया गया था। उसने अनुसूचित जनजाति, मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा किया था। फर्जी समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण उसे सेवा से हटा दिया गया था। इसी बीच, उत्तरदाता ने यह घोषित करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि वह मलयाली समुदाय से संबंधित है। उत्तरदाता ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया। इसके बाद उत्तरदाता ने इस आधार पर एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की कि वह हिंदू लंबाडी जाति से संबंधित है जो कि एक अनुसूचित जनजाति है। उच्च न्यायालय ने जिला कल्याण अधिकारी के निदेशक के

पत्र पर भरोसा करते हुए, जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु राज्य में लंबाडी एक अनुसूचित जनजाति है, यह माना कि उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर दिया। अतः वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1.1 उत्तरदाता के नियुक्ति आदेश से यह प्रतीत होता है कि उसे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तरदाता के इस तर्क के संबंध में कि उसे एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था न कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में, यदि वास्तव में उत्तरदाता को सामान्य श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था, तो समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह घोषित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मलयाली समुदाय से संबंधित है। प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा करते हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में आवेदन किया था। प्रस्तुत किया गया समुदाय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। अनिवार्य रूप से मामला यहीं समाप्त हो जाता है। उसका यह अगला रुख कि भले ही वह मलयाली समुदाय से संबंधित न हो, लेकिन वह लंबाडी समुदाय से संबंधित है, वास्तव में निरर्थक है। राज्य के अधिवक्ता द्वारा संदर्भित दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समुदायों का विवरण दिया गया है, उत्तरदाता के इस दावे को पूरी तरह से गलत साबित करता है कि लंबाडी समुदाय अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा था। यह दस्तावेज बाद में संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के तहत जारी किया गया था। [कंडिका 7] [608-एफ, जी;609-ए, बी, सी]

1.2 संविधान आदेश में की गई प्रविष्टि में जोड़ने या हटाने के रूप में कोई भी बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कल्याण कार्यालय के निदेशक के पत्र पर भरोसा करके स्पष्ट रूप से खुद को गुमराह किया। इसे सरसरी तौर पर देखने से ही पता चलता है कि यह वास्तव में संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश में किसी प्रविष्टि से संबंधित नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक एक सिफारिश की प्रकृति का था। अतः, उच्च न्यायालय का आदेश संधारणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। [कंडिका 8 और 9] [609-डी. ई, एफ]

पलघट जिला थंदन समुदाय संरक्षण समिति एवं अन्य **1994 एससीसी 359;** *महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद एवं अन्य* **2000 (5) पूरक एससीआर 651 - पर अवलंबन किया गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : वर्ष 2008 की दीवानी अपील संख्या 1103

वर्ष 2001 की विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 24911 में मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के दिनांक 17.08.2005 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से अशोक भान, टी.ए. खान, बी.के. प्रसाद एवं डी.एस. महरा।

उत्तरदाताओं की ओर से ए.के. गांगुली एवं आर. सुंदरवर्धन, पी.आर. कोविलन पूंगकुनत्रन, नरेश कुमार, एस. जोसेफ अरस्तू, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम एवं वी.जी. प्रगासम।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा 1. विशेष अनुमति प्रदान की गई

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा चेन्नई स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (संक्षेप में, 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को स्वीकार किया गया था।

3. संक्षेप में, पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

उत्तरदाता को वर्ष 1976 में रेलवे विभाग द्वारा गैंगमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने अनुसूचित जनजाति, यानी मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा किया था। सेवा में शामिल होने के बाद, उसे समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। नायब तहसीलदार, धर्मपुरी ने दिनांक 16.8.1976 को एक प्रमाण पत्र जारी किया। वर्ष 1991 में, महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, धर्मपुरी ने जिले के जिला समाहर्ता से उत्तरदाता के समुदाय प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का अनुरोध किया। समाहर्ता ने एक प्रतिवेदन भेजी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया समुदाय प्रमाण पत्र फर्जी था और उसे रद्द कर दिया गया। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, आरोप पत्र जारी किया गया और विभागीय जांच संचालित की गई। विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाता ने जिला मुंसिफ न्यायालय, धर्मपुरी में एक दीवानी वाद, यानी मूल वाद संख्या 4/1998, इस घोषणा की डिक्री के लिए दायर किया कि वह मलयाली समुदाय से संबंधित है। वाद में, मूल समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश के लिए एक प्रार्थना की गई थी। जांच अधिकारी ने जांच बंद कर दी और अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसके आधार पर दिनांक 23.12.1998 को सेवा से हटाए जाने

का आदेश पारित किया गया। मूल आवेदन, यानी मूल आवेदन संख्या 1156/1999 दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी। उसे इस टिप्पणी के साथ निस्तारित किया गया कि यदि कोई विभागीय अपील तरजीह दी जाती है, तो उसका निस्तारण एक निश्चित समय के भीतर किया जाएगा। चूंकि अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी थी, इसलिए एक पुनरीक्षण दायर किया गया था। चूंकि, उत्तरदाता के अनुसार, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में कुछ देरी हुई थी, इसलिए पुनः मूल आवेदन संख्या 832/2000 में अधिकरण का दरवाजा खटखटाया गया। दिनांक 28.7.2000 के आदेश द्वारा, अधिकरण ने पुनरीक्षण प्राधिकारी को एक निश्चित समय के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने सेवा से हटाए जाने के आदेश को संशोधित करके दिनांक 23.12.1998 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया। अधिकरण के समक्ष एक और मूल आवेदन, यानी मूल आवेदन संख्या 1403/2000 दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया।

4. विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में उत्तरदाता का यह पक्ष था कि यद्यपि विवाद इस बात पर था कि क्या वह एक अनुसूचित जनजाति, यानी मलयाली समुदाय से संबंधित है, वह वास्तव में हिंदू लंबाडी जाति से संबंधित था जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। कुछ संचारों पर अवलंबन जताया गया था, विशेष रूप से कल्याण अधिकारी के कार्यालय, वेल्लोर के निदेशक के दिनांक 3.2.1971 के पत्र पर, जहाँ यह स्वीकार किया गया था कि कन्याकुमारी जिले और एक अन्य तालुक को छोड़कर पूरे राज्य में लंबाडी (सुगाली) को अनुसूचित जनजाति माना गया था। अपीलकर्ताओं, भारत संघ और तमिलनाडु राज्य ने यह कहते हुए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का विरोध किया कि लंबाडी समुदाय अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है और, वास्तव में, उत्तरदाता ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के संबंध में रोजगार प्राप्त किया था, वह यह दलील नहीं ले सकता कि वह लंबाडी समुदाय से संबंधित है, जो उसके पिछले दावे से भिन्न है।

5. उच्च न्यायालय ने जिला कल्याण निदेशक के उपरोक्त पत्र पर भरोसा जताते हुए यह माना कि उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति से संबंधित था और इसलिए, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर दिया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस अपील की सुनवाई के दौरान, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह पक्ष लिया कि उत्तरदाता को एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था न कि अनुसूचित जनजाति के

सदस्य के रूप में, और इसलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या नहीं।

6. भारत संघ और तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह पक्ष है कि तमिलनाडु राज्य में लंबाडी एक अनुसूचित जनजाति नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, जैसा कि उत्तरदाता द्वारा तर्क दिया गया है, कि उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सामाजिक कल्याण विभाग का दिनांक 23.6.1994 का आदेश संख्या 1773 दाखिल किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समुदायों का विवरण दिया गया है। इसके संदर्भ में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लंबाडी एक अनुसूचित जाति नहीं है।

7. इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, उत्तरदाता के मूल सेवा अभिलेख प्रस्तुत किए गए। नियुक्ति आदेश से यह प्रतीत होता है कि उसे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद के संबंध में नियुक्त किया गया था। यदि वास्तव में उत्तरदाता को सामान्य श्रेणी से संबंधित पद के संबंध में नियुक्त किया गया होता, तो समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह घोषणा चाहने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मलयाली समुदाय से संबंधित है। प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा करते हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में आवेदन किया था। प्रस्तुत किया गया समुदाय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। अनिवार्य रूप से मामला यहीं समाप्त हो जाता है। उसका यह अगला पक्ष कि भले ही वह मलयाली समुदाय से संबंधित न हो, वह लंबाडी समुदाय से संबंधित है, वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है। इसके बावजूद, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समुदायों का विवरण दिया गया है, उत्तरदाता के इस दावे को स्पष्ट रूप से झुठलाता है कि लंबाडी समुदाय अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा था। तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित दस्तावेज, बाद में संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (संक्षेप में, 'संविधान आदेश') के तहत जारी किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लंबाडी अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा नहीं था।

8. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *पालघाट जिला थंदन समुदाय समिति और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य* ((1994) एससीसी 359), और *महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य* ((2000) 5 (पूरक) एससीआर 651) में संप्रेक्षित किया गया है, संविधान आदेश में की गई प्रविष्टि में जोड़ने या हटाने के माध्यम से कोई भी परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कल्याण कार्यालय के निदेशक के दिनांक 3.2.1971 के पत्र पर भरोसा करके स्पष्ट रूप से खुद को गुमराह किया। इसे सरसरी तौर पर देखने से ही पता चलता है कि यह वास्तव में संविधान आदेश की किसी प्रविष्टि से संबंधित नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक एक सिफारिश की प्रकृति का था, जैसा कि तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही तर्क दिया गया है।

9. किसी भी कोण से देखने पर, उच्च न्यायालय का आलोच्य आदेश स्पष्ट रूप से संधारणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है।

10. अपील बिना किसी लागत के आदेश के स्वीकार की जाती है।

एन.जे. अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।